①

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क, जयपुर–302016
फोन नम्बर 0141–4004914 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– प. 14 ( )/काउ.(सत्र 2021–22)/रा.पै.मेडि.कौं/2022/ 91 **दिनांकः–** 22-06-2022

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान,
राजस्थान।

विषय : प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में विभिन्न पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों के प्रवेश के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2021–22 में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पैरामेडिकल कौंसिल से मान्यता प्राप्त राजकीय व निजी महाविद्यालयों/संस्थानों में काउन्सलिंग के माध्यम से नियमानुसार पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी आवंटन किये गये है, महाविद्यालय/संस्थान आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

1. प्रवेश सूची में नाम एवं महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थिति देने वाले सभी अभ्यर्थियों की कक्षा–10 एवं 12 की मूल अंकतालिका प्राप्त कर 12वीं कक्षा के कुल प्राप्तांकों का मिलान प्रवेश सूची से दिये गये अंकों से करें।
2. मिलान के पश्चात् छायाप्रति रिकॉर्ड को महाविद्यालय की सील से प्रमाणित करते हुए अभ्यर्थियों से निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें:–
    1. 10वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
    2. 12वीं कक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र।
    3. प्रव्रजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)।
    4. मूल निवास।
    5. जाति प्रमाण पत्र।
    6. राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate), अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (Medical Fitness Certificate) 30 दिवस से अधिक अवधि से पुराना होने पर मान्य नहीं होगा। राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र पर चिकित्सक के हस्ताक्षर, दिनांक तथा डिसपेच क्रमांक अंकित होना अनिवार्य है।
    7. अन्य दस्तावेज जो अभ्यर्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करते समय प्रस्तुत किये हों जैसे P.H. Certificate/ WDP(Wards of Defense Personal) Certificate/ WPP(Wards of Para-military Personnel) Certificate/Widow/ Divorcee Certificate, जो **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हों।**
3. उपरोक्त मूल दस्तावेज महाविद्यालय/संस्था अपने स्तर पर जमा कर कौंसिल द्वारा मांगे जाने पर मूल ही उपलब्ध करवायें। छात्रों को मूल दस्तावेज परीक्षा हेतु नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दिये जायेंगे। अतः सभी अभ्यर्थियों को आगामी अन्य किसी आवश्यकता हेतु अपने मूल दस्तावेजों के आवश्यक मात्रा में फोटो प्रतियां करवा लेने हेतु निर्देशित एवं पाबन्द करें।

4. अभ्यर्थी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं व 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उसका सत्यापन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर की समकक्षता निर्धारित करने संबंधी अनुदेशिका से मिलान करें। साथ ही संबंधित बोर्ड से अंक तालिकाओं का प्रमाणीकरण भी करवाया जावे।

5. कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने मूल (Original) दस्तावेज अपलोड किये गये थे, परन्तु महाविद्यालय/संस्थान में उपस्थिति (Reporting) के समय अभ्यर्थियों के द्वारा डुप्लीकेट दस्तावेज (10वीं, 12वीं व माईग्रेशन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किये जाते है, तो ऐसे अभ्यर्थियों से दस्तावेज खोने के संबंध में थाने में दर्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्राप्त की जावे, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के मूल (Orignal) दस्तावेज कहीं खो गये है तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र भी लिया जावें कि वह अन्य कोई रेगूलर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है, यदि ऐसा किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

6. अंकतालिका के मिलान के समय यह सुनिश्चित करें कि **उच्च माध्यमिक परीक्षा सामान्य वर्ग अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की गई हो।** इससे कम अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है तथा आवंटन सूची में नाम होने पर भी प्रवेश नहीं दिया जायें तथा राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को इस संबंध में ईमेल (rpmc.helpdesk@gmail.com) के माध्यम से तुरन्त अवगत कराया जावे।

7. अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषय) से उत्तीर्ण की गई है, यह सुनिश्चित करें। **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/गणित विषयों के अलावा अन्य विषयों यथा कृषि विज्ञान, भूगोल आदि विषयों से उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।** किसी भी नियम विरूद्ध/अनियमित प्रवेश पर समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय/संस्थान की होगी।

8. अभ्यर्थी की **आयु दिनांक 31.12.2021 तक 17 वर्ष** पूर्ण होनी अनिवार्य है।

9. संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से अधिकतम निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जायेगाः–

   A. Tuition Fees – Rs. 35000 per year

   B. Caution money – Rs. 5000 (once in Course duration and refundable after completion of course)

   C. Uniform Fee – Rs. 1500 (Once in Course duration)

   सभी अभ्यर्थी 10000/– रूपये अग्रिम फीस राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल में जमा करवा चुके है। अतः महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25000/– रूपये प्राप्त करेंगे। काउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा कराई गई अग्रिम राशि 10000/– रूपये संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को कौंसिल द्वारा स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

   यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी से प्राप्त की जाती है तो ऐसे प्रकरणों की जानकारी में आने पर/लाये जाने पर संबंधित महाविद्यालय/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर शास्ति (Penalty) के रूप में राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण वसूल किये जायेंगे तथा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के अधिनियम 2008 की धारा 29 के तहत् मान्यता समाप्त की जायेगी।

10. महाविद्यालय/संस्था द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को समस्त प्रकार की फीस जमा करवाये जाने पर तत्समय ही इसकी प्राप्ति रसीद जारी करनी होगी।

11. सभी पैरा मेडिकल महाविद्यालय/संस्थाओं में पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा तथा परीक्षा का प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में दिया जांना अपेक्षित होगा, ऐसा समस्त संबंधित अभ्यर्थी को भी अवगत करावें।

12. समस्त अभ्यर्थियों से किसी भी राजकीय चिकित्सालय से **Medical Fitness Certificate** प्राप्त कर इसे भी जॉइनिंग के समय संबंधित कॉलेज में प्राप्त किया जायेगा। संबंधित कॉलेज इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम, डिस्पेच क्रमांक व दिनांक भली प्रकार जाँच लेवें।

13. यदि कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08. 2019 के अनुसरण में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backwward Class) जाति प्रमाण–पत्र जारी दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य है लेकिन एक बार क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है, जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक 2141 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।

14. यदि कोई अभ्यर्थी अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.06.2019 के अनुसरण में अति पिछड़ा वर्ग (Most backward Class) के अभ्यर्थियों के पास यदि अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी का लाभ देते हुए अभ्यर्थियों की जोईनिंग स्वीकार करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जारी प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) श्रेणी के लाभ के लिए आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों (1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाड़िया लौहार, गाडोलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गड़रिया (गाडरी), गायरी) को अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। जो इस कार्यालय के पूर्व पत्र *क्रमांक 2140 दिनांक 26.08.2019* के द्वारा सार्वजनिक सूचना के रूप अवगत करवाया जा चुका है।

15. यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में उन्हें उनके राज्य के अधीन प्रदत्त आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा तथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर उसी अनुसार महाविद्यालय में सीटों का आवंटन किया जावेगा। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा उनकी जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ऐसे प्रकरणों की सूचना तुरन्त कौंसिल की ईमेल आईडी **rpmc.helpdesk@gmail.com** पर प्रेषित करें। इस हेतु संबंधित महाविद्यालय अभ्यर्थियों की मूल निवास की गहनता से जाँच कर लेवें।

16. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, EWS, TSP, Sahariya) का है तो ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में संबंधित महाविद्यालय उनके महाविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थी के आवंटन पत्र पर Alloted category का मिलान उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये संबंधित प्रमाण–पत्र से करें। यदि अभ्यर्थी उस श्रेणी का नहीं है या उस श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसमें उसे सीट आंवटित

हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की जॉइनिंग स्वीकार नहीं की जावे तथा ऐसे समस्त प्रकरणों की भी सूचना कौंसिल उपर्युक्त वर्णित ई–मेल के माध्यम से तुरन्त प्रेषित की जावे।

17. यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, EWS, TSP, Sahariya) का है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी (General Category) में आवंटन (Allotement) हुआ है तो ऐसे अभ्यार्थियों से संबंधित आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए नियमानुसार उपस्थिति (Reporting) स्वीकार की जावें।

18. यदि किसी महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) किये जाने तथा फीस जमा कराये जाने के उपरान्त या अध्ययन के दौरान भी, किसी भी समय यह ज्ञात होने पर कि अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित नहीं करता है या उसकी अर्हक परीक्षा की समकक्षता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा के समकक्ष नही है अथवा अभ्यर्थी द्वारा तथ्य छिपाकर, कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को फीस पुनःसंदाय (Refund) नहीं की जायेगी।

19. उपर्युक्तानुसार समस्त पैरा में अंकित दस्तावेज ओर उनकी प्रतिलिपियों की जांच संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा की जावेगी और उनकी सत्यता व प्रमाणिकता की संतुष्टि उपरांत ही अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जावेगा। यदि किसी भी दस्तावेज में उपर्युक्त वर्णित शर्तों/पात्रता का उल्लंघन होने पर भी यदि संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश अनुमत किया जाता है तो अभ्यर्थी का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा शास्ति (Panelty) के रूप में राशि रूपये 10,000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) प्रति प्रकरण पर वसूल किये जायेंगे, तथा इस कारंण इस सीट के रिक्त रहने की स्थिति की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/संस्था की होगी।

20. काउन्सलिंग से आवंटित प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में उपस्थिति देने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् प्रवेश हेतु पात्र पाये जाने पर उसी समय सर्वप्रथम महाविद्यालय/संस्था की SSO ID को Login करने पर वहाँ प्रदर्शित एप्लीकेशन (Application) HTE को खोलकर वहाँ पर दिये गये विकल्प Select Organization में Rajasthan Paramedical Council तथा Application में DMHS-Paramedical Council Admission 2021-22 का चयन कर प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही सम्पन्न करनी है। अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज की जायेगी। **प्रवेश एवं काउन्सलिंग सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी की उपस्थिति (Reporting) की सूचना दर्ज नहीं करने एवं केवल ऑफ लाईन दस्तावेज प्राप्त कर शुल्क जमा कर लेने पर प्रवेश पूर्ण नहीं माना जायेगा तथा ऐसी सीटों को रिक्त मानते हुए काउन्सलिंग में अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जावेगा।**

21. यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण प्रस्तुत करें, तथ्य छुपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार से अयोग्य होने पर भी किसी भी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे प्रकरणों में जानकारी में आने पर/लाये जाने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश हेतु उपस्थिति (Reporting) के समय छात्र को इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप अवगत कराया जाये तथा संबंधित महाविद्यालय भी इस संबंध में पूर्ण सतर्कता रखें। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

22. समस्त महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों की उपस्थिति (Reporting) के समय प्रत्येक अभ्यर्थी के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर पूर्ण संतुष्टि उपरान्त ही उपस्थिति (Reporting) करें।

किन्तु रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एंव ऑन लाईन फार्म में अभ्यर्थी/पिता के नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि इत्यादि में विरोधाभास है तो अभ्यर्थी से 50/–

रूपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विरोधाभास के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए शपथ पत्र लिया जाकर मूल दस्तावेजात से सन्तुष्टि के पश्चात् प्रवेश स्वीकार किया जावें।

23. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के संबंध में पृथक से दिशा–निर्देश दिये गये है, उसके अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

24. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificae की वैद्यता के संबंध में शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11()/आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुरूप कार्यवाही की जावें। **(संलग्न)**

25. समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित Reporting अवधि के मध्य यदि शनिवार व रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश होने की स्थिति में भी संस्थान को खुला रखा जाकर अभ्यर्थियों की Reporting स्वीकार किया जाना सुनिश्चित करें।

26. राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल की वैबसाईट/पोर्टल में किसी भी तरह की समस्या होने पर श्री विजय कुमार, डिप्टी मेनेजर, DOIT जयपुर मोबाईल नं. 7827888521 एवं श्री बलवन्त जी, मोबाईल नं. 7014862205 वाट्सअप नं. 9460934860 अथवा श्री मुकेश कुमार शर्मा, प्रभारी काउन्सलिंग मोबाईल नं. 8003299012 पर सम्पर्क कर सकते है।

27. पैरामेडिकल महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल अधिनियम 2008 नियम 2014 व 2015 के तहत् कार्यवाही की जावेगी।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2021–22)/2022/ 91
दिनांकः– 22-06-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–3) विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी), राजकोम्प (R.I.S.L.), जयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
6. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही वैबसाईट पर अपलोड करें।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार